न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–86/2015 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. रामदयाल सैनी पुत्र स्व0 श्री गिर्राज प्रसाद सैनी, जाति माली, निवासी ग्राम बिचगांवा, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर राज0।
2. किशनलाल स।नी पुत्र स्व0 श्री गिर्राज प्रसाद सैनी जाति माली, निवासी ग्राम बिचगांवा, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर राज0। (मृतक)

2/1 रतनलाल पुत्र श्री किशनलाल सैनी जाति सैनी निवासी बिचगांवा तहसील लक्ष्मणगढ
2/2 शेरसिंह पुत्र श्री किशनलाल सैनी जाति सैनी निवासी बिचगांवा तहसील लक्ष्मणगढ
2/3 भरती पुत्र श्री किशनलाल सैनी जाति सैनी निवासी बिचगांवा तहसील लक्ष्मणगढ।
2/4 मु0 रामो बेवा श्री किशन लाल सैनी जाति सैनी निवासी बिचगांवा,
2/5 कैलाशी पुत्री श्री किशनलाल सैनी स्त्री मदनलाल जाति सैनी निवासी बिचगांवा तहसील लक्ष्मणगढ हाल निवासी पीपखेडा तहसील कठूमर,
2/6 पूनम पुत्री श्री किशनलाल सैनी स्त्री रामोतार जाति सैनी निवासी बिचगांवा तहसील लक्ष्मणगढ हाल निवासी पीपखेडा तहसील कठूमर।
2/7 गुडडी पुत्री श्री किशनलाल सैनी स्त्री बंशी जाति सैनी निवासी बिचगांवा तहसील लक्ष्मणगढ हाल निवासी दोया, हरियाणा।
2/8 उर्मिला पुत्री श्री किशनलाल सैनी स्त्री राजू जाति सैनी निवासी बिचगांवा तहसील लक्ष्मणगढ हाल निवासी दोया, हरियाणा। वारिसान काबिज जायदाद किशनलाल पुत्र श्री किशनलाल सैनी जाति माली (मृतक)

3. हरिराम सैनी पुत्र स्व0 श्री गिर्राज प्रसाद सैनी जाति माली निवासी ग्राम बिचगांवा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0।

..... अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये पैरोकार सरकार तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0।
2. ग्राम पंचायत बिचगांवा पंचायत समिति लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बिचगांवा पंचायत समिति लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0।

.....असल रेस्पोडेण्टस

3. श्रीमती गुलाब देवी सैनी पुत्री स्व0 श्री गिर्राज प्रसाद सैनी, धर्मपत्नि श्री लालसिंह सैनी जाति माली निवासी ग्राम बिचगांवा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान हाल वासी ग्राम तसई तहसील कठूमर जिला अलवर।

.....तरतीबी रेस्पोडेण्टान

उपस्थित :–
1. श्री राजेन्द्र यादव, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपत सिंह नरूका राजकीय अभिभाषक ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–18.02.2020

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.08.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी वादीगण के पिता श्री गिर्राज प्रसाद सैनी पुत्र श्री छाजूराम सैनी जाति माली निवासी ग्राम बिचगांवा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान द्वारा एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 बाबत इस्तकरारहक व हुकमइम्तनाई दवामी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नंबर हाल 385 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा साबिक खसरा नंबर 358 रकबा 14 बीघा 9 बिस्वा व 359 मिन रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम बिचगांवा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। संवत 2029 में उक्त रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा है, उक्त रकबा में से 7 बीघा 1 बिस्वा आराजी पर वादी काबिज है तथा उसी आराजी की बाबत हकूक चाहता है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को अतिक्रमी मानते हुये धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी किया हुआ है, जिससे उसे पक्षकार मुकदमा बनाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उपरोक्त आराजी की किस्म राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज कर दी गई है जिस कारण उसे पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 13 का कोई उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर कोई कब्जा किसी प्रकार का नही है। वादी ने दिनांक 31.01.1997 को अपने अधिवक्ता महोदय के जरिये एक रजिस्टर्ड विधिक नोटिस असल प्रतिवादीगण को दिलवाया हुआ है। उपरोक्त आराजी की बाबत पूर्व का व हाल का रिकार्ड तथा संवत 2029 का रिकार्ड व मिलान क्षेत्रफल वाद के साथ प्रस्तुत किया गया है। वादी उपरोक्त आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के लागू होने के पूर्व से ही काबिज होकर कार्यकाश्तकारी करता चला आ रहा है। जिससे वादी का एडवर्स पजेशन/कब्जा मुखालफाना मानते हुये वादी खातेदारी हकूक प्राप्त करने का अधिकारी है। जिससे वादी को उपरोक्त वर्णित आराजी की बाबत हकूक खातेदारी दिये जाकर उसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर इन्द्राज किया जाना आवश्यक है। जिस वाद वादीगण को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खिलाफ मौका, रिकार्ड व कानून अपने आदेश दिनांक 17.08.2015 द्वारा खारिज फरमा दिया गया। जिस आदेश से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया। अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.08.2015 काण्ट्रेरी टू लॉ एण्ड अगेनस्ट दी प्रोसीजर होने से अपास्त होने योग्य है। वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि अपीलार्थी वादीगण के अग्रज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व ही वाद वर्णित आराजी पर काबिज होकर काश्तकारी करते चले आ रहे हैं जिससे अपीलार्थी के बुजुर्गान का नाम खातेदार के तौर पर वाद वर्णित आराजीयात की बाबत राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिये था। अपीलांट को बिना सूचना दिये अनुपस्थिति में ही वाद वादीगण खारिज फरमा दिया गया।अधीनस्थ अदालत द्वारा इस तथ्य पर भी गौर नही किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के अग्रज श्री गिर्राज प्रसाद सैनी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को दिनांक 11.03.1997 को खारिज फरमा दिया गया था। जिस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के यहां अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बअनुवानी गिर्राज प्रसाद –मृतक रामदयाल बगैरा बनाम राजस्थान सरकार वगैरा प्रस्तुत की गई थी। जिस अपील आवेदन को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.11.2000 द्वारा स्वीकार फरमाते हुये प्रत्यार्थीगण असल के विरूद्ध स्टे आदेश सादिर फरमाया गया था तथा उपरोक्त आदेश में अपीलार्थीगण का वाद वर्णित आराजीयात पर दावा दायरी के दिन तक साबित होना माना था।अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.08.2015 अपास्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाब में पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि उपरोक्त विवादित आराजी चारागाह किस्म की है जो कि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है। जिस पर अपीलांट को अतिक्रमण करने का अधिकार नही है। तहत अदालत द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है, अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । तहत अदालत विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.08.2015 का अवलोकन किया।

मुताबिक रिकार्ड विवादित आराजीयात संवत 2011 से 2020 की जमाबंदी किस्म गै. मु. खोड शामलात पटटी मालियान हस्ब हिस्सा मकबूजा पडत अंकित है। खसरा गिरदावरी संवत 2020 में यह गै. मु. खोड मिल्कियत सरकार सिवायचक दर्ज है। संवत 2029 में इसको चारागाह में दर्ज किया हुआ है।

अपील में खसरा परिवर्तन संलग्न है जिसके आधार पर एडवर्स पजेशन/कब्जा मुखालफाना मानते हुये वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का दावा अधीनस्थ न्यायालय में था।

पत्रावली में ना तो आवंटन आदेश, ना ही नामान्तकरण आदेश, न आवंटी पटटा, न ही विक्रेताओं के नाम की जमाबंदी संलग्न है। आरआरटी 2011(2) पेज 721 माननीय राजस्व मंडल अजमेर की पूर्ण पीठ के अनुसार प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नही है तथा न्यायालय प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान नही कर सकते हैं। अपीलांट के पक्ष में किसी भी प्रकार का राजस्व अभिलेख

पत्रावली पर मौजूद नही है। तहत अदालत द्वारा तनकी बनाकर तनकीवार निर्णय पारित किया गया है, जो कि विधि के अनुकूल है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.08.2015 यथावत रखा जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर